जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

2022/330

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषयः– जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री नारायण पिता रायमल जाति बैरवा निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। प्रार्थी की जाति ग्राम बोरडा पटवार मण्डल बोरडा के खाता संख्या 232 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.05(8) राज.–प./83/राज–6/96/जयपुर दिनांक 01–11–1996 से जाति शुद्दि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(..............................)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री नारायण पिता रायमल की ग्राम बोरडा प०म० बोरडा के खाता संख्या 232 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पटवारी 12-6-2022
प०म० बोरडा

12-6-2022
भू०अ०नि०
वृत्त बोरडा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री नारायण पिता रायमल की ग्राम बोरडा प०म० बोरडा के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

266/22
24/6/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी श्री नारायण पिता रायमल की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम बोरडा प०म० बोरडा केराजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)